www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 19.01.2017

सीबीआई ने 32,000 रू. की घूस स्वीकार करने पर एम.सी.डी. के मण्डलीय निरीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 32,000/- रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने पर दक्षिण दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एम.सी.डी.), दिल्ली के वार्ड संख्या-110/111 के मण्डलीय निरीक्षक को गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि मण्डलीय निरीक्षक ने शिकायतकर्ता के पिता के नाम में परिवर्तन (Mutation) करने हेतु शिकायतकर्ता से 32,000 रू. की घूस की मॉंग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं मण्डलीय निरीक्षक को शिकायतकर्ता से 32,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

आरोपी के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में आज तलाशी की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जायेगा।

****